D:\ADN\D.O.C. 2013.docx- 390 -

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/139411-443 जयपुर, दिनांक 6.10.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– पूरक पोषाहार के वितरण के संबंध में।
प्रसंग :– समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 137771–803 दि.11.10.2013, 31247–79 दिनांक 07.04.2014, 35408–757 दि. 11.04.2014, 54053–85 दिनांक 17.06.2015, 71221–557 दि. 31.07.2015, 85030–63 दिनांक 10.09.2015, 112094–2126 दि. 10.12.2015 एवं 19514–46 दिनांक 19.02.16

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता हैं कि–

1. स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति पोषाहार वितरण दिवस (गुरूवार) से दो दिवस पूर्व अर्थात् सोमवार तक प्राप्त होना सुनिश्चित किया जावे, ताकि विभागीय अधिकारियों द्वारा मंगलवार एवं बुधवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान पूरक पोषाहार का भौतिक सत्यापन किया जा सकें।
2. स्वयं सहायता समूहों से पोषाहार प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पोषाहार के पैकेट का वजन 750 ग्राम एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार के पैकेट का वजन 930 ग्राम हैं एवं पोषाहार के पैकेट पर स्वयं सहायता समूह का नाम, पता, पोषाहार में प्रयुक्त खाद्य सामग्री एवं उसकी मात्रा एवं उत्पादन तिथि इत्यादि विवरण आवश्यक रूप से अंकित हैं। किसी भी स्थिति में पूरक पोषाहार 15 दिवस से पूर्व का उत्पादित नहीं हों।
3. पोषाहार वितरण दिवस (गुरूवार) के दिन प्रातः 11.30 बजे (स्वतंत्र खेल सत्र के दौरान) लाभान्वित बच्चों की माताओं एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र पर बैठाकर उनकी काउन्सलिंग की जावें। उन्हें पूरक पोषाहार के प्रयोग एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में अवगत कराया जाकर पूरक पोषाहार का विभागीय निर्देशानुसार वितरण किया जावें। पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर पर लाभान्वितों के हस्ताक्षर कराये जावें।
4. पोषाहार वितरण दिवस (गुरूवार) के दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु घोषित राजकीय अवकाश होने की स्थिति में पोषाहार का वितरण आगामी दिवस अर्थात शुक्रवार को प्रात 11.30 बजे (स्वतंत्र खेल सत्र के दौरान) किया जावें।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

D:\ADN\D.O.C. 2013.docx- 391 -

13914-761

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ जयपुर, दिनांक: 6.10.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(स्मिता सरीन)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in